राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक डीसी / स्टोर / निविदा / 2019 / 378 दिनाक 10/06/2019

निविदा सूचना संख्या 01 / 2019-20

औषधि नियत्रण सगठन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये कार्यालय जयपुर मे कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद् मैन) की आपूर्ति हेतु मार्च 2020 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिये निविदा आमत्रित की जाती है।

क्र स	विवरण	अनुमानित निविदा राशि	बाली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अतिम तिथि एव समय	निविदा खोलने की तिथि एव समय
1	03 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक अनुमानित (मशीन विथ मैन)	2,50 000 / –	5,000 / –	400 / –	20 06 2019 12 00 PM तक	21 06 2019 11 00 AM पर

1 इस निविदा मे दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता विस्तृत जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in, www.dipronline.org एव www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते है।

औषधि नियत्रक,
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राज जयपुर

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक डीसी / स्टोर / निविदा / 2019 / २१४ दिनाक 10/06/2019

निविदा सूचना संख्या 01 / 2019–20

औषधि नियत्रण सगठन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये कार्यालय जयपुर मे कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद् मैन) की आपूर्ति हेतु मार्च 2020 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिये निविदा आमत्रित की जाती है।

[illegible]	विवरण	अनुमानित निविदा राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एव समय	[illegible]
[illegible]	03 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक अनुमानित (मशीन विथ मैन)	2,50,000/	5000/–	400/	20 06 2019 12 00 PM तक	[illegible] 11:00 AM

1 इस निविदा मे दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा पत्रो को वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in, www.dipronline.org एव www.sppp.rajasthan.gov.in से दिनाक 19 06 2019 को साय 05 00 बजे तक डाउनलोड कर सकते है, या कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते है। आवेदन फॉर्म वेबसाईट से डाउलोड करने पर आवेदन फॉर्म का शुल्क डी डी औषधि नियत्रक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, के नाम आवेदन के साथ सलग्न कर भिजवायेगा।

2 बोली प्रतिभूति राशि निविदा प्रपत्र मे दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी निविदा शुल्क एव बोली प्रतिभूति की राशि डी डी / बैकर्स चैक के रूप मे औषधि नियत्रक के पक्ष मे जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।

3 निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का मूल डी डी / बैकर्स चैक तथा घोषणा पत्र से सबधित शपथ पत्र की मूल प्रति, औषधि नियत्रण सगठन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये जयपुर के स्टेशनरी स्टोर मे दिनाक 20 06 2019 को मध्यान्ह 12 00 बजे तक जमा कराया जाना आवश्यक है।

4 निविदा निर्धारित दिनाक एव समय पर ही खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की दिनाक को राज्य सरकार के द्वारा किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

5 सशर्त निविदाओ को स्वीकार नही किया जायेगा।

6 आरटीपीपी एक्ट 2012 एव आर टी पी पी नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होगे।

7 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एव बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार औषधि नियत्रक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सवायें, जयपुर क पास सुरक्षित है।

औषधि नियत्रक,
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सवाय
राज जयपुर

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विथ मैन) की जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन हेतु
निविदा प्रस्ताव प्रपत्र "क"

1. निविदादाता फर्म का नाम . . ..
   डाक पता .
   .. . .
2. दूरभाष नम्बर .... . कार्यालय .... मोबाईल नम्बर
   ई–मेल . ...
3. पैन न ....
4. बैक का नाम
   खाता सख्या . . .. .
   आईएफएससी कोड . . . . .
5. निविदा शुल्क रूपये 400/– जमा विवरण
   रसीद/डी डी /बैकर्स चैक सख्या . दिनाक ..
6. निविदा प्रतिभूति राशि रूपये 5,000/– (अक्षरे रूपये पॉच हजार मात्र) के लिए बैकर्स चैक/डी डी सख्या दिनाक संलग्न है।
7. उद्धत की गयी दरे अनुमोदन की तिथि से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को RTTP Act. 2012 एव RTTP Rule 2013 के नियम 29 (झ) के अनुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
8. निविदा प्रपत्र मूल्य, निविदा प्रतिभूति राशि तथा घोषणा पत्र से सबधित शपथ पत्र मूल जमा नही कराने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
9. आयकर जी एस टी एव कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र इत्यादि की छायाप्रति सलग्न है।
10. बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम मे प्रस्तुत किया जावेगा तथा पजीकरण प्रमाण पत्रो की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ सलग्न करनी होगी।

क्र स	विवरण	रजि0 स0	वर्ष	पजीकरण दिनाक	सलग्नक
1	राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एव सेवाकर (जीएसटी)				
5	आयकर (पैन न0)				
6	राजस्थान दुकान एव वाणिज्यिक सस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत				

उक्त पजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजो की स्व प्रमाणित प्रतियॉ बोली के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।

11 निविदा शर्ते हस्ताक्षर सहित सलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता .

दूरभाष व मोबाईल न
... .
पैन नं... ....
जीएसटी न

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विथ मैन) की जॉब बेसिस पर सेवाओ के उपापन हेतु

निविदा प्रस्ताव प्रपत्र "ख"

सेवाम

औषधि नियंत्रण संगठन,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राज. जयपुर।

महोदय / महोदया,

1 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सेवाये हेतु आपकी निविदा संख्या 01 / 2019 20 दिनांक 10.06.2019 के क्रम मे बिना किसी आरक्षण एवं शर्त के हमारी दर निम्नानुसार दर अनुबंध हेतु प्रस्तुत है।

2 हमने निविदा प्रपत्र मे वर्णित कार्य के दायरे को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्र मे वर्णित शर्तो को हम बिना किसी आरक्षण, विचलन या चूक के स्वीकार करते है, तथा हम दर अनुबंध के विभिन्न आईटमो की बिना किसी शर्त के निम्नानुसार दर उद्धारित करते हैं

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ईएसआई [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2		4	5	6	7	8	9	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	7774/-	03 [illegible]	23322	As per Rule	As per Rule			

3 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की दर संविदा हेतु हमारी प्रस्तावित दरे निम्नानुसार है-

	राशि रूपये (अंको मे)	राशि रूपये (शब्दो मे)
1 कॉलम संख्या 7 हेतु		
2 कॉलम संख्या 8 हेतु		
3 कॉलम संख्या 9 हेतु		
4 कॉलम संख्या 10 हेतु		
5 कॉलम संख्या 11 हेतु		

4 कॉलम संख्या 11 मे दर्शाई गई राशि के आधार पर न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जायेगा।

5 हमारे द्वारा दी गयी दरे समस्त कर सहित है, उक्त दरो मे जीएसटी सम्मिलित नही है। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

6 कॉलम संख्या 7 से 11 की पूर्ति कर दी गई है।

7 निविदा प्रपत्र मे उद्धरित की गई दरे दर अनुबन्ध के दौरान स्थिर रहेगी, परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी मे वृद्धि की जाती है तो उस स्थिति मे राशि न्यूनतम मजदूरी की सीमा स्वतः बढ जावेगी।

8 संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एव ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा।

9 हमने समझ लिया है कि आप कोई प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा प्राप्त किसी या समस्त प्रस्तावो को अस्वीकृत कर सकेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

दूरभाष व मोबाईल न

पैन न
जी एस टी न

गैर न्यायिक स्टाम्प

(100 रू. के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)

घोषणा–पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमे यह भी स्वीकार है कि औषधि नियत्रण सगठन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम 1970/सशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, एव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एव सेवा कर (GST), आय कर (पैन नम्बर) एव राजस्थान दुकान एव वाणिज्यिक सस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसके प्रमाण–पत्रो की मूल प्रतियॉ कार्यालय को उपलब्ध करा दी जावेगी और यदि हमारी. फर्म का उक्त नियमो के अन्तर्गत वर्तमान मे पजीकरण आवश्यक नही है तो तद्नुसार वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यदि इस निविदा अवधि के दौरान उक्त अधिनियमो मे फर्म का पजीकरण कराया जाना आवश्यक हुआ तो फर्म द्वारा तदनुसार पजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करा दी जावेगी। इस सम्बन्ध मे फर्म द्वारा शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत कर दिया जायेगा। फर्म द्वारा वास्तव मे निविदा प्रपत्र मे चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वाछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी सस्थान/निगम/बैक तथा इस उपापन सस्था द्वारा मेरी/हमारी फर्म को "अधिनियम" की धारा 46 एव "नियम" के नियम 39 के अनुसार अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) एव ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एव कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनाक –

स्थान –

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

बोलीदाता का नाम –

पूर्ण पता –

औषधि नियंत्रण संगठन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

निविदा हेतु सामान्य नियम और शर्ते

नोटः– निविदादाता निविदा प्रपत्र को भरने एव हस्ताक्षरित करने से पूर्व इन नियमों और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढें।

1 निविदा प्रपत्र की राशि रू 400/–, निविदा प्रतिभूति राशि रू 5,000/– का मूल डीडी/बैकर्स चैक औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, के पक्ष मे जयपुर मे देय हो तथा निविदा मे बताये अनुसार घोषणा पत्र से सबधित मूल शपथ पत्र को एक लिफाफे मे प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर "**कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक हेतु** के साथ अपनी फर्म का नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नबर अकित कर निर्धारित तिथि 20 06 2019 मध्याहन 12 00 बजे तक औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग के स्टेशनरी स्टोर अनुभाग को कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा।

2 अको एव शब्दो मे अन्तर होने पर शब्दो मे अकित राशि मान्य होगी।

3 अनुमोदित दर सविदा मार्च 2020 तक की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे आर टी पी पी एक्ट 2012 एव आर टी पी पी रूल्स 2013 के अनुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।

4 निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता को अनुमानित लागत की दो प्रतिशत निविदा प्रतिभूति राशि रूपये 5,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग जयपुर के नाम देय करना अनिवार्य है। निविदा प्रतिभूति राशि के अभाव मे निविदा स्वत ही निरस्त हो जाएगी। सफल निविदादाता की निविदा प्रतिभूति राशि कार्यालय मे जमा रखी जायेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

5 निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओ को औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग जयपुर के कार्यालय मे दिनाक 21 06 2019 को प्रात 11 00 बजे उपापन समिति के सदस्यो द्वारा उपस्थित निविदादाताओ/उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष खोला जाएगा। अपरिहार्य कारणो से निविदाए खोलने की तिथि एव समय मे बदलाव किया जा सकता है।

6 निविदा प्रपत्र मे अकित दस्तावेज कार्यालय द्वारा मागे जाने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होगे।

7 असफल निविदादाता को निविदा प्रतिभूति की राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर लौटा दी जावेगी। निविदा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

8 निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या सपूर्ण कार्य को किसी अन्य सस्था को स्थानान्तरित अथवा सबलेट नही कर सकेगा।

9 सस्था/एजेन्सी को किसी प्रकार को कोई अग्रिम भुगतान नही दिया जाएगा।

10 किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र जयपुर मान्य होगा।

11 सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम आर टी पी पी एक्ट 2012 एव आर टी पी पी रूल्स 2013 एव इस सम्बन्ध मे वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र,

गाईडलाईन, आदेश, निर्देश मे वर्णित प्रावधानो की पालना अनविार्य होगी तथा बिलो के भुगतान पर नियमानुसार टी डी एस व जी.एस टी की कटौती भी की जावेगी।

12 अकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा की जावेगी। अन्यथा ऐसी स्थिति मे कार्यालय मे उपलब्ध कार्य सपादन प्रतिभूति राशि मे से उपरोक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा।

13 निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

14 निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह कार्य आदेश की तारीख से आदेशानुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवाये आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा।

15 **निविदा प्रतिभूति राशि का समपहरण**:— निविदा प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलो मे समपहरण (Forfeit) कर लिया जाएगा:—

1 जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण (Modification) करता है।

2 जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करारा निष्पादित नही करता है।

3 जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है।

4 जब निविदादाता विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश/कार्यादेश के अनुसार कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विथ मैन) की सेवाये उपलब्ध कराने मे असफल रहता है।

5 यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमो के अध्याय—6 मे विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिता के किसी उपबध को भग करता है।

16. <u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति:—</u>

1 सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी होने की दिनाक से 7 दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओ के लिए निविदा स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2 निविदा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर के पक्ष मे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/eGRAS चालान एव आर टी पी पी रूल्स 75 मे बताये अनुसार किसी भी रूप मे जमा करायी जा सकती है।

3 निविदा के समय जमा करायी गयी निविदा प्रतिभूति राशि को निविदादाता के चाहे जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

4 निविदा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

17 निविदा कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरणः— निविदा कार्य सपादन प्रतिभूति राशि को नियमानुसार निम्नलिखित मामलो मे समपहरण (Forfeit) किया जा सकेगा—

1 जब अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघन किया गया हो।

2 जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो।

3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को समपहरण (Forfeit) करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा ताकि सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध मे उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

18 अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निविदादाता द्वारा औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार लौटाई जाएगी।

19 RTPP Rules 2013 के नियम 29(ज) के अनुसार अनुबधित सवेदक द्वारा दर सविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य मे किसी को भी इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर से कम दर पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विथ मैन) उपलब्ध कराने के लिए दर सविदा करता है तो उस दर सविदा के अधीन पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विथ मैन) की दर कम करने या दर अकित करने की तारीख से इस दर संविदा की दरें स्वत. ही कम हो जायेगी और दर सविदा तद्नुसार सशोधित की जायेगी।

20 आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा निविदा प्रपत्र मे बताये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार केवल कम्प्यूटर मय प्रिन्टर भी किराये पर लिये जा सकते है। ऐसी स्थिति मे केवल इसके किराये का भुगतान निविदा मे प्रस्तुत दरो के अनुसार निविदादाता को किया जावेगा।

21 जिस माह विभाग द्वारा कम्प्यूटर मशीन नही ली जाती है, तो उस माह का मशीन किराया का भुगतान नही किया जायेगा।

22 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सख्या मे कभी भी कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम सख्या की गारटी नही दी जायेगी एव इस कार्यालय मे उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सख्या मे कमी या उपलब्ध नही करने की स्थिति मे बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का आधार नही होगा। कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सख्या वृद्धि होने पर अनुबधित सवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबधन एव दर आदेशित समय एव स्थान पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराना होगा।

23 किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।

24 औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर समस्त/किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त/अस्वीकार करने के लिए अधिकृत होगा।

मैने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एव उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की विशेष शर्ते

1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सबधित सवेदक का होगा।

2 सवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैक खातो मे ही किया जायेगा। सबधित सवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैक खातो मे जमा कराई गई राशि का विवरण सबधित उपापन सस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की सतुष्टि होने पर ही सवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

3 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित सवेदक का होगा।

4 श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन सस्था द्वारा सवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

5 सवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एव ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और सवेदक का अशदान शामिल होगा। सवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ और ई.एस. आई के अशदान की राशि नियमुनसार ही सवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।

6 राज्य मे लागू श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको को नियमानुसार ई.पी.एफ एव ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व सवेदक का होगा।

7 सवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एव सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी सवेदक की होगी। सवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एव सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल मे वस्तु एव सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति मे वस्तु एव सेवा कर (GST) के सबध मे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वो के निर्वहन का उत्तरदायित्व सवेदक का होगा।

8 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमो व अधिसूचनाओ तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व सवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उप नियमो, उपनियमो, अधिसूचनाओ, दिशा–निर्देशो आदि की पालना नही करने की स्थिति मे उसके परिणामो/दायित्वो के लिये सवेदक स्वय उत्तरदायी होगा। श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो

वह सवेदक को स्वय के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमो की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एजेन्सी का होगा।

9 यदि सवेदक एव कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी सवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

10 नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 मे विहित प्रावधानो, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व सवेदक का होगा।

11 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई एस आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एव दायित्व सवेदक का होगा, इसके लिये उपापन सस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

12 यदि सवेदक द्वारा नियमुनसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन सस्था को प्राप्त होती है तो उपापन सस्था इस सबध मे श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति मे सवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

13 निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने सबधी स्वय का घोषणा पत्र निविदा प्रपत्र मे बताये अनुसार नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर 100 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

14 इस कार्यालय के द्वारा विद्यमान दर सविदाये उसी कीमत, निबन्धे और शर्तो पर RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के नियम 29 (झ) के अनुसार बढाई जा सकेगी, यदि दर सविदा के अधीन कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटको की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

15 जिस बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जावेगी वह कार्यादेश जारी होने से 03 दिवस मे कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करायेगा।

16. कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये न्यूनतम योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष पास होना एव आर एस सी आई टी कोर्स/एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्नात्तकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही हिन्दी व अग्रेजी दोनो भाषाओ का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ज्ञाना होगा आवश्यक है। हिन्दी एव अग्रेजी टकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनिट होनी चाहिए। ऑपरेटर की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। एक बार ऑपरेटर उपलब्ध करने के पश्चात् औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर की अनुमति से ही बदला जा सकेगा। ऑपरेटर से कराये जाने वाले कार्यो का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

1 राजकीय कार्य दिवस मे प्रात 9 30 बजे से साय 6 00 बजे तक कार्य करना।
2 हिन्दी एव अग्रेजी भाषा मे पर्याप्त गति से टकण कार्य एव प्रिन्टिग करना
3 डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
4 एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि मे कार्य करना।
5 ई–मेल करना/प्राप्त करना
6 विभिन्न पोर्टल/मोडयूल्स मे सूचनाओ को अपलोड एव अद्यतन करना।
7 ई–गवर्नेस मे कम्प्यूटर तकनीक पर आधिरित सबधित कार्य करना।

8 सबधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओ से सबधित और सूचना तकनीकी से सबधित अन्य आवटित कार्य करना।

17 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय मे गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एव धूम्रपान नही करेगा। तथा अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यो मे सलिप्त नही रहेगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उसे तत्काल हटा दिया जावेगा तथा उसके खिलाफ नियमुनसार कार्यवाही की जावेगी। सवेदक को तत्काल अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा। उक्त कार्मिक का चाल चलन एव चरित्र अच्छा होना चाहिए।

18 कम्प्यूटर ऑपरेटर के चाल चलन एव चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदरी सबधित सवेदक की होगी।

19 कम्प्यूटर आर्परेटर द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नही करने पर सवेदक द्वारा अविलम्व उसके स्थान पर अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर अपेक्षित योग्यताधाकर उपलब्ध कराया जावेगा।

20 सविदा पर उपरोक्त पदो पर चयनित होने वाली एजेन्सी/सस्था कार्य सतोषप्रद नही होने पर बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर को हागा। यदि कार्यालय दिवसो के अलावा अवकाश दिवसो मे कार्यालय समय से पूर्व एव पश्चात् भी सस्था/एजेन्सी से सेवाये ली जाती है तो इन सेवाओ के लिय साप्ताहिक अवकाश के अलावा कार्यालय द्वारा अन्य कोई परिलाभ नही दिये जायेगे। साथ ही उन्हे निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर के निर्देशानुसार कार्यालय के सभी प्रकार के कार्यो का निर्वहन करना होगा।

21 निविदा स्वीकार होने की दशा मे कार्यालय के साथ सस्था/ एजेन्सी का अनुबन्ध किया जाएगा जिसकी पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारो की मृत्यु की दशा मे उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होगे। ऐसी स्थिति मे विभाग द्वारा भावी सम्प्रेषण प्राधिकृत/वैधानिक उत्तराधिकारी से ही किया जायेगा।

22 ऑपरेटर के साथ संस्था द्वारा इस कार्यालय को दिये जाने वाली मशीन मे न्यूनतम स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार होना चाहिये –

1. **computer specification**:- Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or Higher, Hard disk 250 GB or More, 15" Monitor/ TFT or bigger, 10/100/1000 mbps & LAN card, CD/DVD Writer, Standard keyboard, Optical Mouse, Standard serial & parallel USB Ports, Windows 7 or higher, Anti-virus, Pre-installed MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor. इससे अधिक सुविधायुक्त कम्प्यूटर देने वाली सस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. **Printer Specification :**Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

III. **UPS**- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.

23 कम्प्यूटर उपकरण मय ऑपरेटर जो निविदा मे दर्शाये गये है, कि विशिष्टियो के अनुरूप निविदादाता को स्वय उपलब्ध करवाने होगे। कम्प्यूटर उपकरण को हमेशा चालू हालत मे रखना होगा। यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो **औषधि नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर** को लिखित मे सूचना देकर मरम्मत कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मरम्मत अवधि मे निविदादाता को अन्य उपकरणो की व्यवस्था करनी होगी।

24 कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उसका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम निर्धारित अनुमोदित विशिष्टियो के अनुरूप है। यदि सिस्टम निर्धारित विशिष्टियो के के अनुरूप नही पाया जायेगा तो उसे निविदादाता को निर्धारित विशिष्टियो के अनुरूप 24 घण्टे मे Replace करना होगा। यदि कम्प्यूटर सिस्टम कार्यालय की सतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है, तो निविदादाता को लिखित सूचना देकर इसे ठीक करवाने हेतु कहा जाएगा तथा दी गई अवधि मे ठीक नही कराने पर औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर, माह मे उस मशीन हेतु निर्धारित राशि का भुगतान अनुपातिक रूप से किया जावेगा।

25 कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एव बिजली की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी तथा कार्यालय बद होने के बाद उपकरण परिसर मे रखे जा सकेगे किन्तु यदि उपकरणो की चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नही होगी। अत निविदादाता को सुझाव दिया जाता है कि वह चाहे तो उपकरण का बीमा करवा लेवे।

26 निविदादाता को प्रतिदिन कार्यालय समय मे तथा आवश्यकता की स्थिति मे कार्यालय समय के पूर्व एव बाद तथा राजकीय अवकाश दिवस मे आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर सेवाए जारी रखनी होगी।

27 कम्प्यूटर सेवाए देने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।

28 स्टेशनरी, सी.डी. एव पैन ड्राइव कन्ज्यूमेबल्स आदि आवश्यकता अनुसार कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा जो कार्यालय की सम्पत्ति रहेगी। प्रिन्टर्स मे नया टोनर प्रथम बार निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात प्रिन्टर मे टोनर रीफिलिग का कार्य कार्यालय स्तर से किया जावेगा।

29 स्वीकृत निविदादाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वय के कर्मचारियो को देय वेतन, भत्तो एव कार्यो के दौरान उत्पन्न जोखिम एव हानियो की क्षतिपूर्ति और राजस्थान मे न्यूनतम मजदूरी एक्ट और लेबर एक्ट और अन्य प्रचलित कानून के तहत लागू प्रावधानो की पालना के लिये उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के प्रावधानो की अवमानना के लिए एजेन्सी/सस्था व्यक्तिश जिम्मेदार होगी। औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर , इस बारे मे किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

30 यदि सेवा एजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय मे अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमे औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर या अन्य अधिकारी को भी पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सवेदक को वहन करना होगा।

31 फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप मे दुर्घटना/घायल/अपग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एव क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नही किया जावेगा।

32 यदि सेवा एजेन्सी द्वारा कार्य बीच मे छोड दिया जाता है या सविदा की शर्तो का उल्लघन किया जाता है या कार्य सन्तोषप्रद नही होने की स्थिति मे विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे सवेदक की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये अन्य सेवा एजेन्सी से दर प्राप्त कर उन्हे ठेका दिये जाने का पूर्ण अधिकार औषधि नियत्रक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर को होगा।

33 सवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिको हेतु निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान (कार्मिक का ईपीएफ अशदान 12 प्रतिशत तथा ईएसआई अशदान हेतु 4 75 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि का भुगतान) सबधित कार्मिक के बैक खाते के माध्यम से जमा कर, उक्त राशि जमा कराने का साक्ष्य अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही अगले बिल का भुगतान किया सकेगा।

34 सवेदक को कार्मिक के ईपीएफ एव ईएसआई मे राज्य सरकार के नियमुनसार कटौती राशि जमा कराने का साक्ष्य आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। ईपीएफ एव ईएसआई के भुगतान के क्रम मे समस्त चार्जेज एव प्रशासनिक खर्च का वहन सबधित सवेदक द्वारा स्वय वहन करना होगा।

35 सेवा अनुबन्ध के दौरान सेवा पर लगे कार्मिको द्वारा विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाए राज्य सरकार के नियमानुसार गोपनीय रखी जायेगी।

36 सवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगे, जिन पर सवेदक का नाम सविदा अवधि, श्रमिको हेतु Help Line नम्बर एव सवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजूदरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सबधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अकित किया जावेगा। सवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की निम्नलिखित प्रारूप मे सूचना प्रस्तुत करेगा –

क्र स	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर का नाम)	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई पी एफ पजीकरण सख्या एव दिनाक	ई एस आई पजीकरण सख्या एव दिनाक

यदि निविदाकार विनिर्दिष्ट समय पर निर्धारित कार्य पूरा नही करता है या कार्य सतोषप्रद नही होता है, तो विभाग को हक होगा कि वो निविदाकार की जोखिम एव व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा कार्य पूरा करवा सकता है और उस कार्य की वसूली निविदाकार के बकाया या आगामी देय राशि से की जा सकती है यदि फिर भी वसूली सम्भव न हो तो राजस्थान लोक योग वसूली अधिनियम 1952 के तहत कर ली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर